बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि ९ अक्तूबर, १९५६ को पूर्वाह्न ११ बजे से माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

HIGH PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES.

47. **Shri KRISHNA GOPAL DAS**: Will the Minister for Supply and Price Control Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that prices of essential commodities have recorded a sharp rise throughout the State, if so, the reasons thereof and the steps Government propose to take to stabilise prices;

(2) whether it is a fact that acute distress prevails in Jamtara and Narainpur police-stations in the district of Santal Parganas on account of the high prices of foodstuff, if so, whether Government propose to open fair price shops there?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) यह सत्य है कि खाद्यान्न का मूल्य गत वर्ष १९५५ से

बढ़ गया है। उदाहरणार्थ बाजार का औसत मोटा चावल (कोर्स चावल) एवं लाल गेहूं का मूल्य अगस्त, १९५६ के अंत में क्रमशः १८ रु० १४ आने तथा १६ रु० ७ आने था, और १६ रु० ८ आना तथा १३ रु० ८ आना १९५५ के अगस्त में भी था। हाल ही में मूल्य में कुछ कमी हो गई जिससे बाजार में मोटा चावल तथा लाल गेहूं का दाम ता० १५ सितम्बर १९५६ को १८ रु० १३ आना और १६ रु० ५ आना हुआ। संपूर्ण भारत में भाव बढ़ने के कारण इस प्रदेश में भी स्वभावतः भाव बढ़ा। नियंत्रण न रहने के कारण खाद्यान्न के यातायात में भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई रुकावट नहीं रही। अतः भारत भर में अन्न का मूल्य प्रायः समान होना स्वभाविक है। खाद्यान्न का इन्डेक्स नम्बर सारे भारत में १९५५ के अगस्त के बीच में ३२० एवं १९५६ के अगस्त के बीच में ४०१ था।

मूल्य की बढ़ती की ओर केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के ध्यान आकर्षित हुए हैं। परंतु समस्या का समाधान मुख्यतः केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है। अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री के साथ राज्य के मुख्य मंत्री एवं अन्यान्य अधिकारियों की बातचीत हुई जिसके फलस्वरूप राज्य भर में फेयर प्राईस शौप्स खोले जा रहे हैं।

आफ पुलिस या डिप्टी मजिस्ट्रेट मेंबर होने के लिये खड़ा होता है तो हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र में लोगों पर भोट पाने के लिये दबाव डाले ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—इंश्योरेंस वाला भी दबाव डाल सकता है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इससे यही पता चलता है कि आप इंश्योरेंस का काम बहुत कर चुके हैं ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हमसे ज्यादा आपने किया है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आप अपने तजुरबे पर कह रहे हैं । अगर कोई आदमी से हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारा एहसान उसपर रहेगा न कि उसका एहसान हमपर रहेगा । इसलिये इंश्योरेंस वाला किसी पर दबाव कैसे डाल सकता है ? मैं आशा करता हूं मेरी बातों पर माननीय सदस्यगण गौर करेंगे और मैंने जो स्वीकृति का प्रस्ताव पेश किया है उसको पास कर देंगे ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

कि दी बिहार लेजिस्लेचर (रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लैंड एक्वीजीशन (बिहार सेकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ (१९५६ की वि० सं० २४)

THE LAND ACQUISITION (BIHAR SECOND AMENDMENT) BILL, 1956 (BILL NO. 24 OF 1956).

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि लैंड एक्वीजीशन (बिहार सेकेंड अमेंडमेंट बिल,) १९५६ पर विचार हो ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल हाउस के सामने क्यों लाया गया है उसका कारण स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में बतला दिया गया है । लैंड एक्विजीशन का जो पब्लिक परपस है उसका स्पष्टीकरण उसमें कर दिया गया है । अगर हम लैंड एक्वायर करें सैनिटरी इम्प्रूमेंट, रिक्लेमेशन, लेइंग आउट आफ विलेजसाइट अथवा टाउनशीप अथवा एक्सटेंशन और प्लैनिंग डेवलपमेंट मौजूदा विलेज या टाउन का तो यह भी पब्लिक परपस में शामिल है।

यह भी पब्लिक परपस में शामिल है और मेरे खयाल से पब्लिक परपस में ऐसा होना भी चाहिये लेकिन हमारे कानून जाननेवाले लोगों को शक है कि पब्लिक परपस में यह शामिल हो सकता है या नहीं और इसलिये वे लोग यह चाहते हैं कि यह भी पब्लिक परपस में शामिल हो जाय जिससे जमीन को एक्वायर करने में देरी न हो। इसलिये यहां पर इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है ।

दूसरी बात यह है कि अभी जो नोटिफिकेशन निकलता है वह सेक्शन ४ और ६ के मुताबिक निकलता है और सरकार के यहां से निकलता है। अब नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार कलक्टर को दिया जा रहा है। सेक्शन ४ के नोटिफिकेशन के अनुसार कलक्टर जमीन पर जाता है और उसका नक्शा तैयार करता है और सेक्शन ६ के नोटिफिकेशन के अनुसार साइट, बाउन्डरी और चौहद्दी आदि ठीक होती है। आप कह सकते हैं कि कलक्टर को इसका अधिकार देने से ज्यादती होगी लेकिन आपको जानना चाहिये कि ऐसा नहीं होने से पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में देरी होगी। अगर कहीं पर इसके चलते ज्यादती होगी तो सरकार को हमेशा यह पावर है कि वह कलक्टर को इसके लिये हिदायत दे सकती है। लेकिन काम को जल्दी से करने के लिये कलक्टर को इसका पावर देना जरूरी है।

तीसरा संशोधन यह है कि सेक्शन ४ और ६ का जो नोटिफिकेशन निकलता है वह बिहार गजट में छपता है। आप जानते हैं कि सरकारी काम बहुत बढ़ गया है और सरकारी प्रेस के लिये अब यह मुमकिन नहीं कि जल्दी से हरेक नोटिफिकेशन को वह छाप सके। उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक सब काम रूका हुआ रहेगा। इसलिये इसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि जिसमें नोटिफिकेशन का गजट में छपना कोई जरूरी नहीं होगा। ग्राम पंचायत और पुलिस-स्टेशन में ही नोटिफिकेशन की कापी भेज दी जायेगी जिससे जनसाधारण को यह मालूम हो जाय कि कौन सी जमीन एक्वायर की जा रही है और उसमें उस जमीन की चौहद्दी दी रहेगी।

एक दूसरा संशोधन हम यह करने जा रहे हैं कि जो आबजेक्शन जमीन को एक्वायर करने में दायर होते हैं उनको डिसपोज आफ करने का अधिकार सरकार को है। अब उनको डिसपोज आफ करने का अधिकार कलक्टर को या ऐडिशनल कलक्टर को दिया जा रहा है और इससे आप यह कह सकते हैं कि उज्र करने का मौका नहीं लोगों को मिलेगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां पर भी किसी तरह की ज्यादती होगी सरकार को इनहेरेंट राइट है कि वह कलक्टर को किसी तरह का आदेश दे सकती है और ज्यादती को रोक सकती है।

एक दूसरा संशोधन हम यह करने जा रहे हैं कि अगर एक्वायर करने में किसी तरह की क्लेरिकल गलती हो जाय तो इस गलती का सुधार कलक्टर कर सकता है। इस संशोधन के जरिये मामूली क्लेरिकल गलती को सुधारने का अधिकार कलक्टर को दिया जा रहा है।

इस तरह से इस बिल की जो खास-खास बात हैं उनका जिक्र मैंने अभी यहां पर कर दिया है और यह सब संशोधन जमीन को जल्दी से एक्वायर करने के खयाल से किया जा रहा है जिसमें पंचवर्षीय योजना शीघ्र शुरू हो जाय। अभी जमीन नहीं मिलने से हजारों स्कीमें पड़ी हुई हैं और उन्हीं के लिये जल्दी से जमीन लेने के खयाल से इस बिल को यहां पर उपस्थित किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों को सुनने के बाद वे शीघ्र ही इस बिल को पास कर देंगे।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—आज इस बिल को न पास करके कल्ह इसको पास किया

जाय

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इस बिल को, अच्छा काम करने के लिये, लाया गया है और अच्छा काम को करने के लिये जल्दीबाजी करनी चाहिये । इसलिये हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके, इसको पास कर दिया जाय । मैंने अपना भाषण दिया, मैंने शुद्ध भाषण दिया और अच्छी नीयत से भाषण दिया इसलिए कि आप पर उसका असर पड़े । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बिल को पास कर देंगे ।

*Shri **KRISHNA GOPAL DAS** : Sir, I beg to move :

That the Land Acquisition (Bihar Second Amendment) Bill, 1956, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December 1956.

It has been stated in the Statement of Objects and Reasons that this amendment is proposed in order to ensure more expeditious disposal of land acquisition cases. But if we go through the provisions of the amending Bill, it will be found that there is provision for expeditious acquisition of land but there is no provision for expeditious disposal of cases. Had there been such provision, I would have given my consent at once. It would have been good both for Government and also for the interested parties. You all know that land acquisition cases drag on for a considerable length of time which entails unnecessary harassment and expenditure for both the parties. Here the provision seeks to acquire land more expeditiously but there is no provision in this Bill for expediting decisions on objections for making of awards and payment of compensation ; rather, there are provisions which will delay payment and create obstacles in the speedy disposal of cases, for example, section 7 (amending section 17). In this amendment, Government want to take possession of land without prior compensation. At present if the Government want land, they have to pay compensation before they can take possession of it. They cannot take possession of the land unless award is made. Under section 17 of the Act, Government cannot take possession of the land unless they are waste or arable. If this Bill is passed, Government will be able to take possession of the land without prior compensation and that means that the cases will be delayed. If Government want land urgently, Government have their machinery and they must try to dispose of the cases speedily. But if this Bill is passed, Government will be in a position to acquire land without compensation and thus the cases will take their ordinary course and there will be more delay. At present, of course, Government tries to dispose of the cases soon because they cannot take possession of the land unless the payment is made. There is another aspect. They cannot take buildings and other lands without prior

compensation. I would like to quote the definition of the word "land" which is as follows :

The expression "land" includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.

According to the provision of section 17 of the Act, Government can take possession of a land in case of any emergency. The section runs as follows :—

"In case of urgency, whenever the Provincial Government so directs, the Collector, though no such award has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in section 9, sub-section (1), take possession of any waste or arable land needed for public purposes or for a Company....."

Thus the Government can take possession of any waste or arable land only after giving 15 days' notice, but after this Bill is passed, Government can take possession of any land other than waste and arable. That means unnecessary hardship to the people. For example, if the people are asked to vacate their houses which are in their occupation, they will have to do so. In our area, a large number of people have to vacate their houses within fifteen days of the receipt of the notice. You can imagine the fate of such people. They will be rendered homeless and shelterless. So, if this Bill is passed, it will cause extreme hardship to the people. The acquisition of land will also raise the question of rehabilitation of a large number of people. So, Government has to think over this matter also that if this provision is passed, it will cause undue hardship to the people.

Regarding correction of clerical or arithmetical mistakes, at present there is no provision for such correction in the Land Acquisition Act. I can have no objection to the correction of such mistakes but you will find that at page 3 of the Bill, the provision runs as follows :—

"The Collector may, at any time but not later than six months from the date of the award, or where a reference has been made under section 18 before the making of such reference, correct any clerical or arithmetical mistakes in the award either on his own motion or on the application of any person interested."

Here, the Government wants six months' time for correction but the interested parties are being allowed only six weeks' time when they have to make any reference under section 18 of the Act. If any party is dissatisfied with the award and if he wants to make any representation regarding measurement or compensation, he is allowed only six weeks' time, but Government in their case also want six months' time. I am opposed to giving six months' time, because there is another question involved in it. After the payment is made, the money is bound to be spent by the parties,

and if arrears are to be recovered from them after so much time, it will be very hard for them. So, the time-limit should not be allowed to be six months. It should not be extended beyond six weeks. The provision in this connection runs as follows :—

"Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1), such person shall be liable to refund the excess, and if he defaults or refuses to pay, the same may be realised as an arrear of land revenue."

There is another amendment that is going to be made to section 3. Under this provision, there is no mention about less payment or under-payment. They cannot be corrected.

So, these are my difficulties and these are the points on account of which I want the Bill to be sent for eliciting public opinion.

There are other minor points, e.g., publication of notices, etc.

Sir, in the original Act there was the expression 'at convenient places'. But this has been deleted. I want that this notification should be published at convenient places. It should be notified in villages. But here the words 'at convenient places' have been deleted. My point is this. I also want expeditious disposal of land acquisition cases, because it is necessary when the State is launching schemes for development works on extensive scale.

SPEAKER: When you want to send it for public opinion, you need not speak in detail.

Shri KRISHNA GOPAL DAS: My view in sending it for public opinion is that I am vehemently opposed to section 17 because that will affect the people. Suppose a building is acquired and the owner is required to vacate within fifteen days, he will be put to great difficulty. Sir, hundreds of house owners will be affected by this Bill. That is why I am going to move for the circulation of the Bill.

*श्री इगनेस कुजूर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्ण गोपाल दास जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने पेश किया गया है उसकी मंशा जहां तक मैं समझता हूं यही है कि सरकार के किसी अधिकारी को किसी शर्त्त के अनुसार काम करने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो ऐसा प्रोविजन कर दिया जाता है जिसके अनुसार कानून में भी उसका प्रोविजन हो जाय। आज मेरे सामने समस्या यह है कि कई राज्यों में पब्लिक परपसेज के लिए लैंड एक्वीजीशन हो रही है, सरकार लैंड एक्वायर करना चाहती है लेकिन लैंड एक्वीजीशन के वक्त क्या-क्या दिक्कत होती है यह तो सरकार को दिखाई पड़ रही है। इसलिए जो देरी या दिक्कत होती है उसे दूर की जाय यही हमारी सरकार की समस्या है। इसी हिसाब से जो सेक्शन ४ के अनुसार नोटिफिकेशन होना चाहिये था और सेक्शन ७ के अनुसार डिक्लरेशन होना चाहिए

था इसे सरकार चाह रही है कि सब काम कलक्टर के हाथ सौंप दिया जाय। इसके बाद इसको गजट में पब्लिश करने में भी देरी होती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पहले सरकारी ऑफिसों में लैंड एक्वीजीशन का परमानेन्ट रेकर्ड रखा जाता था पर अब इस बिल के जरिए इन सारी चीजों को केवल सबडिवीजनल हेडक्वार्टर में, ग्राम-पंचायत में, पुलिस-स्टेशन में ही पब्लिश की जायगी और सरकार के पास जो रेकर्ड रहता था वह नहीं रहने पायगा।

अध्यक्ष—आप असंगत बोल रहे हैं।

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, जब रेलवे कोई लैंड एक्वायर करती है और यदि उसकी जरूरत नहीं होती है और जब उस जमीन को लौटाना चाहती है तो उसको पता ही नहीं रहता है कि किसकी जमीन है। सरकारी अधिकारी की सुविधा ही केवल देखते हैं इससे गजट में नहीं निकालना चाहते हैं। अब सिर्फ कलक्टर और ऐडिशनल कलक्टर ही इस काम को करेंगे। दिक्कत यह है अध्यक्ष महोदय, कि जो बिल बन रहा है उसके मुताबिक सबडिवीजनल हेडक्वार्टर, ग्राम-पंचायत और पुलिस-स्टेशन में ही नोटीफाई करेंगे और जिसकी प्रोपर्टी होगी उसके पास नोटिस भेजेंगे। मेरा कहना है कि इस ऐक्ट का बहुत बड़ा अब्यूज होगा।

अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि चूंकि इस कानून का दुरुपयोग होगा इसलिए यह कानून न बने।

श्री इगनेस कुजूर—मैं चाहता हूं कि कानून वही बने जिसका यूज हो। अब्यूज करने के लिए कानून नहीं बने। इस बिल में जो बात आयी है उससे अब्यूज की ज्यादा सम्भावना है।

अध्यक्ष—जेनरल आर्गूमेंट कानून के खिलाफ है यह ठीक है लेकिन संगत नहीं है।

श्री इगनेस कुजूर—अभी जो नोटिफिकेशन होगा या डिक्लरेशन होगा उसमें खतरा है।

अध्यक्ष—आप कहना चाहते हैं कि आप कानून नहीं चाहते हैं?

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताने दें कि मैं क्यों नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष—आपने जो कहा कि इसका दुरूपयोग होगा इसलिए नहीं चाहते हैं। हम तो आपसे ऐग्री करते हैं। इसीलिए आप इसको पब्लिक ओपीनियन में भेजना चाहते हैं?

श्री इगनेस कुजूर—मैं भी पब्लिक में से एक हूं। मैं चाहता हूं कि प्रौपर तरीके से सरकार हमारे सामने बिल रखे। अध्यक्ष महोदय, कोई गलती अवार्ड होगा तो ६ महीने तक सरकार उसे सुधार देगी। यदि ज्यादा पेमेंट हो गया हो तो ऐज ए रिजल्ट ऑफ करेक्शन (१) ऑफ सेक्शन १२(ए) सरकार रियलाइज कर लेगी। अगर वह देने से इनकार करेगा तो लैंड रेवेन्यू के एरियर में जो कार्रवाई की जाती है वह कार्रवाई इसके विरुद्ध की जायगी। यह अधिकार सरकार अपने कर्मचारियों को देने जा रही है।

यह बात कहीं पर नहीं है कि आप कलर्क को क्या सजा देंगे और अफसर को क्या सजा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि गलती हुई, एक तो गलती होनी ही नहीं चाहिए और अगर सरकार गलती करती है तो इसकी सजा अवार्ड पाने वाले को पड़ेगी। सलिए मैं कहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें गलती नहीं हो। जब आप जमीन ले रहे हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसके हिसाब-किताब में गलती होगी उसको आप अपनी मशीनरी से सुधार नहीं सकते हैं और जब सुधार लेते हैं तो अवार्ड पाने वाले को सजा देते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई प्रणाली निकालनी चाहिए कि अवार्ड पाने वाले को सजा पाने के पहले गलती का सुधार हो जाय।

अध्यक्ष—यह तो अमेंडमेंट (संशोधन) की बात है।

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था जैसा कि श्री कृष्ण गोपाल दास जी ने कहा है .....

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, अब आप बहुत कुछ कह चुके। दोहरायें नहीं। समय भी नहीं है, चार बज गये।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मेरी प्रार्थना यह है कि आज ही इस बिल को पास होना चाहिए ताकि कल इसे कौंसिल में भी पास कर दिया जाय।

*श्री त्रिवेणी कुमार—अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बहुत से मामलों में लोग चाहते आये हैं कि जमीन एक्वायर हो जैसा कि बाढ़ में कटाव के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने असेम्बली में यह सवाल पेश किया कि जो गांव कट रहे हैं उनको जल्द जमीन दी जाय। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा कि जमीन का कम्पेनसेशन (हर्जाना) देने में क्या होता है। आपको याद होगा कि मैंने एक दफा और यह बात कही थी और असेम्बली का यह बारहवां सेशन चल रहा है और हर सेशन में कम्पेनसेशन देने के बारे में हमने प्रश्न किया होगा।

अध्यक्ष—मुआवजा की बात इसमें कहां है?

श्री त्रिवेणी कुमार—जी हां, बात है। बिना कम्पेनसेशन दिये जमीन ले लेंगे। मैं हर साल असेम्बली सेशन में प्रश्न पूछता रहा और अभी तक किसानों

को कम्पेनसेशन नहीं मिला। और इस सेशन में हमारे इरिगेशन मिनिस्टर (सिंचाई मंत्री) ने सवाल के जवाब में कहा कि इस प्रश्न को हमने रेवेन्यु डिपार्टमेंट (राजस्व विभाग) में ट्रान्सफर कर दिया है। सारा काम इरिगेशन डिपार्टमेंट (सिंचाई विभाग) से हुआ और अब इसे रेवेन्यु (राजस्व) में भेज दिया गया।

श्री रामचरित्र सिंह—आप इतना भी नहीं जानते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट (सिंचाई विभाग) कम्पेनसेशन (हरजाना) देने के लिए रेवेन्यु डिपार्टमेंट (राजस्व विभाग) को दे देता है।

श्री त्रिवेणी कुमार—हुजूर, अभी तक इस प्रश्न का उत्तर हमारे इरिगेशन मिनिस्टर ने दिया और अब इसे रेवेन्यु डिपार्टमेंट (राजस्व विभाग) में भेज दिया तो यह कुछ नवीनता-सी बात हुई।

खैर, मैं यह कह रहा था कि एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ सरकार के जो अंचल ब्लौक बन रहे हैं उसके लिए १५ एकड़ जमीन एक्वायर हुई हमारे थाने में। पुराने ऐक्ट के मुताबिक कम्पेनसेशन का जो सारा प्रोसीड्योर है वह सब छः महीने के अन्दर ठीक हो गया इसलिए कि एक धनी आदमी को पैसा देना था, लेकिन जब हजारों-हजार किसानों की बात आती है.....

अध्यक्ष—यह तो दूसरी बात आप कह रहे हैं।

श्री त्रिवेणी कुमार—आप चाहते हैं कि बिल को ऐक्ट बना दें, तो हम यह कहना चाहेंगे कि कानून में कठिनाई नहीं है बल्कि आपके डिपार्टमेंट (विभाग) की कठिनाई है।

अध्यक्ष—यह तो कंप्लेन्ट हुआ, इसको बिल से क्या सरोकार है। आप बिल का विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री त्रिवेणी कुमार—खैर, हुजूर मैं यह कह रहा था कि एक धनी आदमी की जमीन थी इसलिए छः महीने के अन्दर सारा प्रोसीड्योर ठीक हो गया।

जमीन की मार्केट वैलू हजार पये प्रति एकड़ है उसके लिए तीन हजार पये मुआवजा आपके डिपार्टमेंट (विभाग) ने दे दिया इसलिए कि वे धनी आदमी थे। उनका नाम है काशी प्रसाद तिवारी।

अध्यक्ष—यह सब कैसे संगत है।

श्री त्रिवेणी कुमार—हुजूर, अब तो हमने कह दिया।

जहां तक इस बिल के एक्सपेडिसस डिस्पोजल का सम्बन्ध है हमको तो पूरा शक है कि यह बिल पास हो जायेगा तब भी यह समस्या हल नहीं होगी।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, श्री त्रिवेणी कुमार ने कहा कि यदि

विलम्ब होता है तो ऑफिस की वजह से होता है और कानून में कोई दोष नहीं है। इनका ऐसा कहना गलत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि ऑफिस में विलम्ब नहीं होता है। विलम्ब होता है लेकिन कानून में भी कमी है जिससे विलम्ब अनिवार्य हो जाता है और चूंकि विलम्ब होने की गुन्जाइश है कानून में इसलिये काननी तरमीम करना चाहते हैं। जैसे कि डिक्लरेशन होता है अन्डर सेक्शन ४ और ६ और कलक्टर के यहां से कागज आवेगा, फिर औब्जेक्शन गवर्नमेंट सुनेगी। इस प्रकार देरी होगी ही। गजट में नोटिफिकेशन की बात है। असेम्बली के काम की वजह से जितने डिपार्टमेंट हैं सभी ऐक्टिव हो रहे हैं और इस प्रकार काम पेंडिंग पड़ जाता है। अगर हम चाहें कि गजट हम दूसरी जगह छपवा दें तो वैसा कर नहीं सकते हैं; गजट तो एक औथेन्टिक डाकुमेंट है, इसकी एक सैंक्टिटी है और इस काम को क्लौज सुपरविजन में करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ऑफिस में विलम्ब नहीं होता है, विलम्ब होता है कानून की वजह से। उसी विलम्ब को रफा करने के लिये यह तरमीम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त ने कहा है कि गजट में आप प्रकाशन करेंगे, ग्राम-पंचायतों को सूचित करेंगे लेकिन जहां ग्राम-पंचायत नहीं है वहां कैसे प्रकाशित करेंगे। इसके विषय में हमें इतना ही कहना है कि जिनकी जमीन ली जायेगी उसके लिये ढिंढोरा पिटवा दिया जायेगा, बिना किसी की जानकारी के जमीन नहीं ली जायेगी। एक उज्र हमारे दोस्त श्री कृष्ण गोपाल दास ने सेक्शन ७ पर किया है जो विचारणीय है। अगर उस सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य संशोधन पेश करेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। हमारे दोस्त ने कहा है कि ६ महीने का मौका कलक्टर को दिया गया है और जो एक्सेस पेमेंट हुआ है उसके लिये वह वाजिब कार्रवाई कर सकता है। और एक्सेस पेमेंट के लिये भी प्रौवीजन रहेगा और उसके मुताबिक हम वसूल कर लेंगे। अब सवाल है कि पेमेंट कम हुआ है उसको देने का। अगर १०० रु० देना है और ९० रु० देते हैं तो वह १० ० का और हकदार होगा।

यदि हमको रुपया देना है तो हम किसी भी समय दे सकते हैं। इस बिल में भाषा की खामियां भले ही हों लेकिन यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जरूरी है और मैं विश्वास करता हूं कि सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

अध्यक्ष—मूल प्रश्न यह था कि लैंड ऐक्विजीशन (बिहार सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल,

---

१९५६, पर विचार हो। उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उसे जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाए तो प्रश्न यह है:

That the Land Acquisition (Bihar Second Amendment) Bill, 1956, be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by the 31st December 1956.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि:

लैंड ऐक्विजीशन (बिहार सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रूद्रिका सिंह—कल सभा की बैठक १० बजे से की जाय।

Shri RAM CHARITRA SINHA: I shall appeal to the Leader of the Opposition to sit for some time more so that we may pass it today. Tomorrow the Council is sitting from 12 and we want to send it there today.

श्री जमुना प्रसाद सिंह—जिन लोगों का घर इरोजन से गिर गया है या बाढ़ से क्षति हुई है उनको पब्लिक इनटरेस्ट में करार दे दिया जाय। यह मेरा सबमिशन है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसी हाउस में लैंड ऐक्विजीशन अमेंडमेंट पास हुआ है। राज्यपाल के असेन्ट मिलने में देर हुई इसी से इसमें विलम्ब हुआ है। यदि कोई किसी कारण से होमलेस हुआ है तो कलक्टर को क्या अधिकार है वह मैं आपको बता देता हूं। जो बिल १९५६ में पास हुआ है उसमें है:

"Provided that, whenever it appears to the Collector that on account of apprehended damage to life or property by erosion the temporary occupation and use of such land are urgently needed for the purpose of rehabilitating displaced persons or needed by any Railway Administration for the maintenance of their traffic or for the purpose of making thereon a river-side or ghat station, or of providing connection with or access to any such station, the Collector may, without any direction of the appropriate Government, procure the occupation and use of the same for such term as he shall think fit, not exceeding three years from the commencement of such occupation."

There was delay in getting the assent of the Governor and, therefore, this Bill could not be enforced earlier.

Shri JAMUNA PRASAD SINGH: The second amendment is about section 6.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: If there is excess payment. Government takes the authority to realise the excess payment.

Shri JAMUNA PRASAD SINGH: Government has to go to the Civil Court for that.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Not at all.

Shri JAMUNA PRASAD SINGH: We want assurance from the Government.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: There will be no difficulty in realising the excess payment and if Government has to pay something it can be paid any time.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ३।

Shri IGNES KUJUR: Sir, I beg to move :

"That after the word 'lies' occurring in the sixth line of page 2, the words 'and the person whose land is being acquired' be inserted, and the word 'and' occuring in the fifth line of page 2 be deleted."

SPEAKER: The question is :

"That after the word 'lies' occurring in the sixth line of page 2, the words 'and the person whose land is being acquired' be inserted, and the word 'and' occurring in the fifth line of page 2 be deleted."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ३ सभा द्वारा यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बने।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—लैंड ओन विच हाउस स्टैंड्स इसके सम्बन्ध में मैं यह आश्वासन गवर्नमेंट की ओर से देता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई सेक्शन ७ के अधीन नहीं की जायेगी। अगले सेशन में फिर मिल कर इसमें संशोधन कर दिया जायेगा। अभी कानूनी राय इस पर लेनी होगी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ७, ८, ९ और १० इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७, ८, ९ और १० विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

'प्रस्तावना' इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'प्रस्तावना' विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

'नाम' इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'नाम' विधेयक का अंग बना।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लैंड ऐक्विजीशन (बिहार सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

लैंड ऐक्विजीशन (बिहार सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा बुधवार, तिथि १० अक्तूबर १९५६ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
तिथि ९ अक्तूबर १९५६।

बि० स० मु० (एल०ए०) ३२३—८७०—मोनो—२२-६-१९५७—मा०च०मा०